

राजस्थान सरकार  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

जयपुर, दिनांक 18/03/2015

परिपत्र

क्रमांक: निस/प्रशास/सानिवि/2015/30019

ACE(W.B.)/SE(W.B.)  
SE(PMGSY)AAO/PS.  
for completion  
19/3/15  
CE (PMGSY)

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा पत्रावलियों पर की जाने वाली टिप्पणी (Note-Sheet) अंतिम हिस्से तक अंकित कर देते हैं। अधिकारी उसी नोटशीट पर आपने हस्ताक्षर कर आगे मार्क कर देते हैं, जिसके कारण उच्च अधिकारियों/माननीय मंत्री महोदय/माननीय मुख्यमंत्री महोदयों द्वारा अपनी टिप्पणी लिखने का पर्याप्त स्थान नहीं रह पाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भी समय - समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः सभी अधिकारियों को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि विभागीय नोटशीट के अंतिम हिस्से तक अपनी टिप्पणी अंकित न करे। उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाने वाली पत्रावली की नोटशीट में टिप्पणी हेतु पर्याप्त स्थान होना सुनिश्चित किया जाये। इन आदेशों की पालना में सभी अधिकारी अपने स्तर पर भी मनीटरिंग करे।

(डी.बी.गुप्ता)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: निस/प्रशास/सानिवि/2015/30019

जयपुर, दिनांक 18/03/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता (पीएमजीएसवाई), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
4. मुख्य अभियंता (एनएच), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
5. मुख्य अभियंता (एसएस), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियंता (क्यूएस), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. संयुक्त शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

प्रमुख शासन सचिव

Chief Engineer (PMGSY)  
RR No. 6.24.7 Date. 19/3/15